रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-24072026-274759
CG-CG-E-24072026-274759

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3835] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2026/आषाढ 31, 1948
No. 3835] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2026/ASHADHA 31, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 21 जुलाई, 2026

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20E के अंतर्गत सूचना

का.आ. 4005(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3, उपखण्ड-(ii), तारीख 29 अप्रैल 2026 मे प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का आ. 2173(अ.) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए **विशेष रेल परियोजना** दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के **"दगोरी से निपनिया बीच चौथी लाईन (6.86 कि.मी.)"** परियोजना का निर्माण हेतु। बलौदाबाजार –भाटापारा जिले के छत्तीसगढ़ ,राज्य मे निष्पदान के लिए आवश्यक है, एतद्वारा अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

और उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम कि धारा 20(क) की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों अर्थात नवभारत–रायपुर संस्करण (हिन्दी में) **नई दुनिया**–रायपुर संस्करण (हिन्दी में) Times of India – Raipur edition (in English) तारीख 15 मई 2026 को प्रकाशित कर दिया गया था।

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20(E) कि उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20(E) की उप धारा(1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उपाबद्ध अनुसूची भूमि विनिर्दिष्ट भूमि पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

अतः यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20(E) कि उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के "दगोरी से निपनिया चौथी लाईन (6.86 कि.मी.)" परियोजना का निर्माण है, बलौदा बाजार–भाटापारा जिले के लिए,अधिग्रहण किये जाने के लिए संरचना के सहित या उनके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण–

जिला का नाम –बलौदाबाजार – भाटापारा (राज्य –छत्तीसगढ़)

क्रमांक संख्या	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा / प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि की किस्म	भूमि स्वामी
1	भाटापारा	गुडाघाट	442/1	0.052	काली मिटटी (कन्हार)	बिरझा बाई पिता ईतवारी
			442/3	0.130	काली मिटटी (कन्हार)	सोना बाई पिता अंजोरवा
3			442/4	0.034	काली मिटटी (कन्हार)	सोना बाई पिता अंजोरवा
कुल योग– 0.216 हेक्टेयर						

कुल योग– 0.216 हेक्टेयर

[फा. सं. डी.सी.ई–II / कॉन / आर / चौथीलाईन / दगोरी–निपनिया / 20ई/]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

South East Central Railway

NOTIFICATION

Bilaspur, the 21st July, 2026

Notice under Section 20E of the Railway Act, 1989

S.O. 4005(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (South East Central Railway), number S.O. 2173 (E),dated 29th April 2026 the published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-ii, section 3, Sub-section (ii), and issued under sub- section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, construction of **"Dagori to Nipania 4th line (6.86 km)" of South East Central Railway** in Baloda Bazar-Bhatapara District in the state of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land.

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local news papers namely, Navbharat (Raipur Edition), Nai Duniya (Raipur Edition) & Times of India (Raipur Edition), of dated 15.05.2026, under sub-section (4) of section 20A of the said Act,

And whereas, no objection has been received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in the pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Govt. hereby declares that on publication of the notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely construction of "Dagori to Nipania 4th line (6.86 km)" of South East Central Railway in Baloda Bazar – Bhatapara District in the state of Chhattisgarh.

Name of District - Baloda Bazar – Bhatapara (State - Chhattisgarh)

S. No.	Tehsil	Name of Village	Khasra / Plot No.	Area (In Hectare)	Type of Land	Land owner
1	Bhatapara	Gudaghat	442/1	0.052	Black soil (Kanhar)	Birjha Bai - Father Itwari
2			442/3	0.130	Black soil (Kanhar)	Sona Bai - Father Anjorva
3			442/4	0.034	Black soil (Kanhar)	Sona Bai- Father Anjorva
Total – 0.216 Hectare						

Grand Total:- 0.216 Hectare

[F. No. DCE-II/Con/R/4th line/Dagori-Nipania/20E/]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer (Const.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.07.24 15:52:03 +05'30'